न्यूज़ टुडे

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) को लागू हुए 55 वर्ष पूरे हुए

NPT, बहुपक्षीय संधि में **एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व** करती है। इसका लक्ष्य **परमाणु-हथियार संपन्न राष्ट्रों** (NWS) द्वारा निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के बारे में

- **शुरुआत:** इसे 1970 में लागू किया गया था।
- **सदस्य:** 191 देश।
  - भारत ने इस संधि पर **हस्ताक्षर नहीं किए** हैं। भारत के अनुसार यह संधि राष्ट्रों के बीच **"परमाणु शस्त्र संपन्न"** और **"परमाणु शस्त्र विहीन"** के रूप में भेदभाव करती है।
- **संधि के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर:**
  - **प्रमुख सिद्धांत:** अप्रसार; निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच।
    - **अप्रसार:** संधि के पक्षकारों को परमाणु हथियार प्राप्त करने या हस्तांतरित करने से बचना चाहिए।
  - **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की भूमिका:** संधि के अनुपालन को IAEA द्वारा किए गए निरीक्षणों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।
    - **वर्ष 1957** में IAEA की स्थापना **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली** के भीतर एक **स्वायत्त** संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
  - **संधि के संचालन की समीक्षा: प्रत्येक पांच वर्ष** में की जाती है।

भारत और परमाणु हथियार

परमाणु परीक्षण
1974 और 1998 में परमाणु विस्फोट और परीक्षण किए गए थे।

परमाणु सिद्धांत
भारत ने 2003 में अपने आठ सूत्री परमाणु सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसमें परमाणु हथियार का **पहले उपयोग न करने (no-first-use)** की नीति पर जोर दिया गया है।

परमाणु सहयोग
2005 में **भारत-अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता** किया गया था।
भारत और जापान के बीच 2015 में **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु सहयोग के लिए समझौता** हुआ था।

वर्तमान समय में NPT का महत्त्व

- **परमाणु हथियारों के संदर्भ में बढ़ते खतरे:** छोटे हथियारों, AI जैसी विकसित होती प्रौद्योगिकियों आदि के रूप में।
- **परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करना:** स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, अधिकांश देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किया है।
- **परमाणु कूटनीति को कमजोर करना:** उदाहरण के लिए, रूस ने व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT) के अपने अनुसमर्थन को वापस ले लिया है।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर अन्य प्रमुख संधियां

- **व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT):** यह संधि **वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के नीचे परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध** लगाती है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW):** भारत द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशक्तीकरण के लिए मौजूदा कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया

ऐसी टिप्पणियों और निर्णयों के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर **महिला सशक्तीकरण** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिलाओं के सशक्तीकरण में न्यायपालिका की भूमिका

- **यौन उत्पीड़न की रोकथाम: विशाखा साहनी बनाम राजस्थान राज्य (1998)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे।
- **महिला अधिकारों को कायम रखना: शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था और इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था।
- **लैंगिक समानता: दानम्मा @ सुमन सुरपुर बनाम अमर (2018)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान पुत्री के अधिकार को बरकरार रखा।
- **आपराधिक कानूनों में सुधार: जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 497 को खारिज कर दिया था। यह धारा एक विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति के रूप में मानते हुए व्यभिचार को अपराध मानती है।
- **वेतन समानता: रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 39(d) के तहत "समान कार्य के लिए समान वेतन" को एक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में मान्यता दी थी।

महिला सशक्तीकरण हेतु अन्य संवैधानिक और विधायी उपाय

- **संवैधानिक**
  - **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14** (समानता का अधिकार), **अनुच्छेद 15(1)** (लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध), आदि।
  - **राज्य की नीति के निदेशक तत्व: अनुच्छेद 42** (राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा) आदि।
- **विधायी:** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 आदि।

स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट में लॉन्च होते हुए विस्फोट हुआ तथा फ्लोरिडा और बहामास में उसका मलबा बिखर गया

यह घटना स्टारलिंक और क्यूपर जैसे **सैटेलाइट्स के विशाल समूहों के विस्तार से जुड़े बढ़ते जोखिमों को उजागर** करती है।

- अंतरिक्ष मलबा (Space debris) वास्तव में अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे **अनुपयोगी मानव-निर्मित ऑब्जेक्ट्स** होते हैं। इनमें **पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे या वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले निष्क्रिय सैटेलाइट्स के टुकड़े** होते हैं।

अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन से जुड़े गवर्नेंस संबंधी और कानूनी मुद्दे

- **परिभाषा की कमी:** अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अंतरिक्ष मलबे की **ऐसी कोई कानूनी परिभाषा नहीं दी गई है, जो सभी को स्वीकार** हो।
- **जिम्मेदारी:** 1972 के **लायबिलिटी कन्वेंशन** के तहत इस पर विवाद है कि मलबे को "**स्पेस ऑब्जेक्ट्स** " माना जाए या नहीं। जब मलबा किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो इसकी **जिम्मेदारी तय करना मुश्किल** हो जाता है।
- **दिशा-निर्देशों को लागू करने में समस्या:** कई पुराने सैटेलाइट्स में डी-ऑर्बिटिंग तंत्र नहीं होते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र के **स्वैच्छिक 'डी-ऑर्बिटिंग दिशा-निर्देशों' का पालन सुनिश्चित करना कठिन** हो जाता है।
- **मलबे के स्रोत की पहचान:** विशेष रूप से पुराने स्पेस ऑब्जेक्ट्स की या सैटेलाइट्स के टुकड़े के स्रोत की पहचान करना चुनौतीपूर्ण होता है। इससे भी किसी देश या एजेंसी को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है।

अंतरिक्ष मलबे के मुख्य स्रोत: अधिकांश अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में **सैटेलाइट्स के खंडित होने या किसी अन्य ऑब्जेक्ट्स के साथ इनके टकराने से उत्पन्न होता है।**

अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम**
  - 1993 में **इंटर-एजेंसी डेब्रिस कॉर्डिनेशन कमेटी** (IADC) गठित की गई थी।
  - **'अंतरिक्ष मलबे को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देश'** जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों को **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति** (UN-COPUOS) ने तैयार किया है।
  - **जीरो डेब्रिस चार्टर पर 12 देशों ने हस्ताक्षर** किए हैं। इनमें **ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस** जैसे देश शामिल हैं।
- **भारत द्वारा उठाए गए कदम**
  - **मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन** (DFSM), 2030 की घोषणा की गई है।
  - **इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट** (IS4OM) ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
  - **स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर** (SSACC) की स्थापना की गई है।
  - प्रोजेक्ट **"नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस** (NETRA/ **नेत्र**)" शुरू किया गया है।

- अंतरिक्ष मलबा **रॉकेट के निष्क्रिय हो गए चरणों और अंतरिक्ष-आधारित हथियारों** (जैसे एंटी-सैटेलाइट मिसाइलों) के उपयोग से भी उत्पन्न हो सकता है।

अंतरिक्ष मलबे के बढ़ने से जुड़ी चुनौतियां:

- अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे सक्रिय और उपयोगी **सैटेलाइट्स तथा अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के समक्ष खतरा** बना रहता है।
- नए सैटेलाइट्स को **सक्रिय और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष उपाय** करने होते हैं। इससे **अंतरिक्ष कार्यक्रम की लागत बढ़** जाती है।

एक अध्ययन में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के लिए समुद्री घास के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया

हाल ही में, **नेचर रिव्यूज अर्थ एंड एनवायरनमेंट** में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें समुद्री घास द्वारा जैव विविधता और पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं को समर्थन; इसके समक्ष विद्यमान मुख्य खतरों और लाभों को लेकर चर्चा की गई थी।

समुद्री घास के बारे में

- ये समुद्री **पुष्पीय पादप** हैं जो उथले व तटीय जल में उगते हैं। इनका विकास आमतौर पर **मुहाने और समुद्री पर्यावासों** में होता है।
- समुद्री घास को "**समुद्र के फेफड़े**" कहा जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ये **प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन का उत्पादन** करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह ऑक्सीजन समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
- **समुद्री घास का वितरण**
  - यह **अंटार्कटिका को छोड़कर** लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है।
  - **भारत में वितरण:**
    - पूर्वी तट पर **मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी** क्षेत्र में पाई जाती है,
    - पश्चिमी तट पर **कच्छ की खाड़ी** क्षेत्र, अरब सागर में **लक्षद्वीप** के अलग-अलग द्वीपों के लैगून और बंगाल की खाड़ी में **अंडमान व निकोबार द्वीप समूह** में पाई जाती है।

समुद्री घास का महत्त्व

- **जैव विविधता समर्थन:** समुद्री घास मैदान संरक्षण वाली **121 प्रजातियों और 746 मछली प्रजातियों** के लिए पर्यावास प्रदान करते हैं।
- **कार्बन प्रच्छादन** (Carbon Sequestration): समुद्री घास वर्षावनों की तुलना में **35 गुना तेजी से कार्बन का प्रच्छादन** करती हैं। ये महासागरों के **कार्बन का 10-18% संग्रहीत** करती हैं, जबकि समुद्री नितल के केवल **0.1% भाग को कवर** करती हैं।
- **तटीय संरक्षण:** समुद्री घास के मैदान समुद्री लहरों के प्रभाव को कम करते हैं। इससे तटीय क्षेत्रों की तूफानों और अपरदन से रक्षा होती है।
- **आर्थिक मूल्य:** समुद्री घास पारिस्थितिकी-तंत्र का वार्षिक मूल्य लगभग **6.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** आंका गया है। ये वैश्विक मात्स्यिकी के 20% हिस्से का समर्थन करती हैं, जिससे मत्स्यन और पर्यटन उद्योग को लाभ होता है।

समुद्री घास के संरक्षण के लिए आरंभ की गई पहलें

वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें

- **UNEP कम्युनिटी मैनुअल:** UNEP और उसके भागीदारों ने समुद्री घास संरक्षण के लिए समुदाय आधारित परियोजनाओं का मार्गदर्शन करने हेतु एक मैनुअल जारी किया है।
- **सीग्रास वॉच:** यह एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है। इसके तहत स्वयंसेवकों व संगठनों को समुद्री घास के पर्यावासों की निगरानी और संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- **ब्लू कार्बन इनिशिएटिव:** इस पहल के तहत कार्बन प्रच्छादन और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए समुद्री घास सहित तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत में शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति:** यह नीति तटीय समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों में मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के साथ-साथ समुद्री घास के महत्त्व का भी उल्लेख करती है।
- **जलवायु लचीलापन परियोजना:** इस परियोजना का तटीय जलवायु के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए **आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा** में संचालन किया जा रहा है। इसमें समुद्री घास जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनर्बहाली शामिल है। इस परियोजना को **ग्लोबल क्लाइमेट फंड** से अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त है।

समुद्री घास के समक्ष खतरे:

- शहरी, औद्योगिक और कृषि अपवाह; तटीय विकास; ड्रेजिंग; अनियंत्रित मत्स्यन व नौका विहार गतिविधियां; जलवायु परिवर्तन आदि।

विश्व मसाला संगठन ने मसालों में अधिक मूल्य-वर्धन का सुझाव दिया

विश्व मसाला संगठन ने **10 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिए मसालों में अधिक मूल्य-वर्धन का सुझाव दिया। **भारतीय मसाला बोर्ड ने 2030 तक 10 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य** रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर मूल्य-वर्धित मसालों में भारत की हिस्सेदारी **70% तक बढ़ानी** होगी।

- वैश्विक मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी **2024 में मात्र 0.7% के साथ 14 बिलियन डॉलर** रही है, जबकि **चीन की 12% और संयुक्त राज्य अमेरिका की 11%** है।

मसालों के संबंध में भारत की स्थिति

- **उत्पादन:** भारत **विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता** देश है।
  - भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध **109 मसाला किस्मों में से 75 का उत्पादन** होता है।
- **प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य:** मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि।
- **निर्यात:** भारत मसालों का **सबसे बड़ा निर्यातक** है। वर्ष 2021-22 में भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाला मसाला मिर्च थी।
- **प्रमुख निर्यात गंतव्य:** चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम आदि।

प्रमुख चुनौतियां

- **कम मूल्य वर्धन:** भारत से मसाला निर्यात में मूल्य-वर्धित उत्पाद की हिस्सेदारी केवल 48% है, जबकि शेष (52%) निर्यात कच्चे या साबुत मसाले के रूप में होता है।
- **सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां:** 98% मसाला उत्पादन लघु किसानों द्वारा किया जाता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है।
- **कमजोर विनियमन:** भारत में स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (Sanitary & Phytosanitary: SPS) संबंधी सभी मापदंडों को कवर करने वाले राष्ट्रीय मानकों का अभाव है।
- **कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारत को वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, चीन आदि देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

मसालों से संबंधित शुरू की गई पहलें

- **भारतीय मसाला बोर्ड:** यह एक वैधानिक संस्था है, जो वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय मसालों के विकास एवं वैश्विक प्रचार के लिए काम करती है।
- **मसालों का निर्यात विकास एवं संवर्धन योजना:** इसका उद्देश्य निर्यातकों को अत्याधुनिक प्रसंस्करण तकनीक अपनाने में सहायता करना है।
- **अन्य:** साझा प्रसंस्करण (मसाला पार्क) के लिए अवसंरचना की स्थापना और रखरखाव करना, राष्ट्रीय संधारणीय मसाला कार्यक्रम (NSSP) आदि।

अन्य सुर्ख़ियां

आजीविका का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने **रणवीर इलाहाबादिया को कार्यक्रम प्रसारित** करने की अनुमति दी, क्योंकि यह उसके लिए **आजीविका का एकमात्र स्रोत** है।

आजीविका के अधिकार के बारे में

- सुप्रीम कोर्ट ने विविध निर्णयों के माध्यम से माना है कि संविधान के **अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार** निहित है।
- **अनुच्छेद 39:** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से पर्याप्त आजीविका का अधिकार प्राप्त हो।

इस अधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (फुटपाथ पर रहने वालों का मामला):** आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के साधन के बिना नहीं रह सकता।
- **एम.जे. सिवानी बनाम कर्नाटक राज्य:** संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में आजीविका की सुरक्षा शामिल है।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)

इस्लामिक सहयोग संगठन ने गाजा पर अधिकार करने और उसके निवासियों को विस्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के खिलाफ **अरब लीग के वैकल्पिक प्रस्ताव** का समर्थन किया।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बारे में

- यह एक **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है। यह **मुस्लिम जगत का सामूहिक पक्ष रखने वाला संगठन** है।
- **सदस्यता:** इसके सदस्य **57 देश हैं और ये देश 4 महाद्वीपों से हैं।** यह विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा संगठन है।** विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र है।
- **उत्पत्ति:** यह संगठन **25 सितंबर 1969** को अस्तित्व में आया था।
- **स्थायी सचिवालय:** जेद्दा में स्थित है।
- **उद्देश्य:** विश्व के विविध लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना।

सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **संशोधित 'इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना' के तहत सहकारी चीनी मिलों** के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है।

'सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना' के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय/ विभाग:** केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग**।
- **उद्देश्य: गन्ना-आधारित** मौजूदा **इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों** में बदलना। इससे **मक्का और खाद्य के लिए अनुपयोगी हो चुके खाद्यान्न** जैसे अन्य कच्चे माल का उपयोग किया जा सकता है।
- **संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना** के तहत सरकार **6% प्रतिवर्ष** की ब्याज छूट देगी या **बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा तय ब्याज दर का 50% वहन करेगी** (जो भी कम हो)।
- इस योजना से **इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा** मिलने के साथ-साथ **गैर-परंपरागत कच्चे माल का उपयोग भी बढ़ेगा।** इससे किसानों और सहकारी चीनी मिलों को लाभ मिलेगा।

MSMEs के लिए डिजिटल फुटप्रिंट-आधारित ऋण

वित्त मंत्रालय ने **MSMEs के डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग करके एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल** लॉन्च किया है। इस कदम का उद्देश्य ऋण मूल्यांकन और संवितरण को प्रभावी बनाना है।

नए ऋण मूल्यांकन मॉडल के बारे में

- यह मॉडल इकोसिस्टम में उपलब्ध **डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापित डेटा** का उपयोग करेगा तथा MSMEs ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित प्रक्रियाएं तैयार करेगा।
- **इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - वित्तीय समावेशन में सुधार करना,
  - पारंपरिक क्रेडिट स्कोर पर निर्भरता कम करना, और
  - MSMEs की औपचारिक ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना।
- केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक (PSBs) MSMEs को **ऋण देने से पहले उनके ऋण भुगतान की क्षमता का आकलन अपने स्तर** से करेंगे। इसके लिए उन्हें **किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं** रहना चाहिए।

गांडीव मिसाइल

DRDO ने अपनी **हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक** को आधिकारिक तौर पर "गांडीव" नाम दिया।

गांडीव/ अस्त्र MK-3 की मुख्य विशेषताएं

- यह **अस्त्र श्रृंखला** में अगली मिसाइल है। यह मिसाइल अपने **पूर्ववर्ती संस्करणों अस्त्र MK-1 और अस्त्र MK-2** की सफलता पर आधारित है।
- **प्रणोदन प्रणाली:** इसके संचालन में अत्याधुनिक तकनीक **'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रणोदन प्रणाली'** का उपयोग किया गया है। यह प्रणाली **वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र** के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम है।
- **गति:** यह **300-350 किलोमीटर की विस्तारित रेंज में मैक 4.5 तक की सुपरसोनिक गति पर रहते हुए यात्रा** कर सकती है।

ट्रोपेक्स/ TROPEX - 2025

ट्रोपेक्स का आयोजन **जनवरी से मार्च 2025 तक तीन माह** की अवधि के लिए किया गया था।

ट्रोपेक्स के बारे में

- यह **भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास** है।
- **उद्देश्य:** भारतीय थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल के समन्वय में भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों का आकलन करना तथा उनमें सुधार करना।

पोषण अभियान

हाल ही में, **पोषण अभियान** ने अपने **कार्यान्वयन के 7 वर्ष पूरे** किए।

- यह अभियान **2018 में शुरू** हुआ था।
- यहां पोषण/ POSHAN से आशय है-**प्राइम मिनिस्टर ऑवरचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन**।

पोषण अभियान के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य:** किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।
- **मिशन पोषण 2.0:** इसे 2021 में शुरू किया गया था। **पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान** जैसे समान उद्देश्यों वाले अन्य कार्यक्रमों को **मिशन पोषण 2.0** में शामिल कर लिया गया है।
- **वित्त-पोषण व्यवस्था:**
  - **राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए:** केंद्र और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में।
  - **पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए:** केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में।
  - **बिना विधान-सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए:** 100% वित्त-पोषण केंद्र सरकार द्वारा।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

गोविंद बल्लभ पंत (1887 - 1961)

- प्रसिद्ध **स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद** बल्लभ पंत को उनकी पुण्यतिथि (7 मार्च) पर याद किया गया।

गोविंद बल्लभ पंत के बारे में

- **जन्म:** खूंट गांव (अल्मोड़ा, उत्तराखंड) में।
- उन्होंने**1921 में राजनीति में प्रवेश** किया था तथा **आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत की विधान सभा** के लिए चुने गए थे।
- **मुख्य योगदान**
  - **भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान:**
    - कांग्रेस ने उन्हें **काकोरी कांड** में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लो खान और अन्य क्रांतिकारियों का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया था।
    - उन्होंने **नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलनमें** भाग लिया था। उन्हें **1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाने के कारण गिरफ्तार** कर लिया गया था।
  - **उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगदान:**
    - उन्होंने **जमींदारी प्रथा का उन्मूलन** किया था।
    - **हिंदू कोड बिल** पारित कर **हिंदू महिलाओं को तलाक देने का अधिकार और पैतृक संपत्ति में अधिकार** दिलाया था।
  - **भारत के गृह मंत्री के रूप में योगदान**
    - उन्होंने **भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में भूमिका** निभाई थी।
    - उन्होंने केंद्र सरकार में और कुछ राज्यों में **हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई थी।
- **सम्मान:** उन्हें **1957 में भारत रत्न से सम्मानित** किया गया था।
- **मूल्य:** नेतृत्व कौशल, सत्यनिष्ठा और करुणा।